*E-Mail*

उत्तर प्रदेश शासन
नगर विकास अनुभाग–1
संख्या–3271 /9–1–2016–44ए(300)07
लखनऊ : दिनांक 22 दिसम्बर, 2016

**अधिसूचना**

उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–2, सन् 1916 की धारा 3 के साथ पठित भारत का संविधान के अनुच्छेद 243–थ के खण्ड (2) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल जिस अधिसूचना को जारी करने का प्रस्ताव करते है उसका निम्नलिखित प्रारूप उक्त अधिनियम की धारा–4 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार जनसामान्य की सूचना के लिए और उसके संबंध में आपत्तियां या सुझाव आमन्त्रित करने की दृष्टि से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

2. प्रस्तावित अधिसूचना के संबंध में आपत्तियां या सुझाव, यदि कोई हों, सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, नगर विकास अनुभाग–1, बापू भवन, लखनऊ को सम्बोधित करके लिखित रूप में प्रेषित किये जाने चाहिए। केवल उन्हीं आपत्तियों और सुझावों पर विचार किया जायेगा जो इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से पन्द्रह दिन के भीतर प्राप्त होंगे।

**अधिसूचना का प्रारूप**

उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 ( उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–2, सन् 1916) की धारा 3 के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 243–थ के खण्ड (2) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल क्षेत्र की जनसंख्या, उसमें जनसंख्या घनत्व, स्थानीय प्रशासन के लिए जनित राजस्व कृष्येत्तर कार्यकलापों में नियोजन का प्रतिशत और आर्थिक महत्व को ध्यान में रखते हुए विनिर्दिष्ट करते है कि स्थानीय क्षेत्र जिसकी सीमायें नीचे अनुसूची में दी गयी हैं, भारत का संविधान के भाग नौ–क के प्रयोजनार्थ संक्रमणशील क्षेत्र होगा और उक्त संक्रमणशील क्षेत्र के लिए एक नगर पंचायत का गठन किया जायेगा, जिसे नगर पंचायत, दढ़ियाल जिला रामपुर के रूप में जाना जायेगा।

**अनुसूची**

नगर पंचायत–दढ़ियाल जिला–रामपुर के प्रादेशिक क्षेत्र

| क0सं0 | ग्राम | गाटाओं का विवरण |
|---|---|---|
| 1 | दढ़ियाल मुस्तेहकम | 1 से 1434 |
| 2 | दढ़ियाल एहतमाली | 1 से 2286 |

नगर पंचायत दढ़ियाल जनपद रामपुर की चौहद्दी–

पूरब चौहद्दी के ग्राम– जालफनगला
दक्षिण चौहद्दी के ग्राम– जटपुरा
पश्चिम चौहद्दी के ग्राम– रामपुर धम्मन व अकबराबाद
उत्तर चौहद्दी के ग्राम– दून्दावाला

( श्रीप्रकाश सिंह )
सचिव।

संख्या–3271 (1)/9–1–2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि उक्त अधिसूचना के अतिरिक्त एक अंग्रेजी प्रारूप सहित संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को दिनांक 22 दिसम्बर, 2016 के असाधारण गजट में विधायी परिशिष्ट के भाग–4 खण्ड (ख) में प्रकाशित कराकर उसकी 50–50 प्रतियां शासन को प्रेषित कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

( सुधीर सिंह चौहान )
संयुक्त सचिव।

संख्या–3271 (2)/9–1–2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि उक्त अधिसूचना के एक अंग्रेजी प्रारूप सहित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1) आयुक्त, मुरादाबाद मण्डल, मुरादाबाद ।
(2) जिलाधिकारी, रामपुर को इस आशय से प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को एक स्थानीय समाचार पत्र और राष्ट्रीय समाचार पत्र में प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
(3) सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(4) निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय, लखनऊ।
(5) निदेशक, जनगणना निदेशालय, भारत सरकार, अलीगंज, लखनऊ।
(6) निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0 लखनऊ।
(7) निदेशक, पंचायती राज, उ0प्र0 लखनऊ।
(8) नगर विकास विभाग के समस्त अनुभाग।
(9) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

( शशिकान्त कनौजिया )
अनु सचिव।

UTTAR PRADESH SHASAN
Nagar Vikas Anubhag-1

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the notification no-3271 /9-1-2016-44T(300)07 dated: December22 , 2016

NOTIFICATION
No- 3271 /9-1-2016-44T(300)07
Lucknow- Dated: December22 , 2016

The following draft notification which the Governor proposes to issue in exercise of the powers under clause (2) of Artcle 243-Q of the Constitution of India read with section 3 of the Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916 (U.P.Act no-II of 1916) is hereby published for the information of the general public and with a view to inviting objections or suggestions in respect thereof as required under sub-section (1) of section 4 of the said Act.

2. Objections or suggestions, if any, with respect to the proposed notification should be sent in writing addressed to the Sachiv, Uttar Pradesh Shasan, Nagar Vikas Anubhag-1, Bapu Bhawan, Lucknow. Only such objections and suggestions shall be taken into consideration as are received within 15 days from the date of publication of this notification in the Gazette.

**Draft Notification**

In exercise of the powers under clause (2) of Article 243-Q of the Constitution read with section 3 of the Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916 (U.P.Act no-II of 1916), the Governor having regard to the population of the area, the density of population therein the revenue generated for the local administration, the percentage of employment in non-agricultural activities and the economic importance is pleased to specify that the local area the limites of which is given in the Schedule below, shall be a transitional area for the purpose of Part IX-A of the Constitution of India and there shall be constituted for the said transitional area a Nagar Panchayat to be known as Nagar Panchayat Dadhiyal in District Rampur.

**SCHEDULE**

Transitional Area of Nagar Panchayat Dadhiyal, District Rampur.

| Sl.no. | Villages | Detail of Gattas |
|---|---|---|
| 1 | Dadhiyal Mustahkam | 1to 1434 |
| 2 | Dadhiyal Ehatmali | 1to 2286 |

Boundarie of Nagar Panchayat Dariyal, District Rampur.

East Boundary Village- Jalafnagla.
South Boundary Village- Jatpura.
West Boundary Village- Rampur Dhamman and Akbarabad.
North Boundary Village- Doondawala.

22/12/2016

(ShreePrakash Singh)
Secretary.